

बिहार सरकार
पथ निर्माण विभाग

पत्रांक:-प्र0-11/पथ संधारण-10-01/2014 2137 (E) पटना, दिनांक.....31.3.15

प्रेषक,

लक्ष्मी नारायण दास,
अभियंता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त-सह-विशेष सचिव,
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना ।

सेवा में,

मुख्य अभियंता (यातायात), दक्षिण बिहार उपभाग, पथ निर्माण विभाग, पटना ।
मुख्य अभियंता (यातायात), उत्तर बिहार उपभाग, पथ निर्माण विभाग, दरभंगा ।
अधीक्षण अभियंता, सभी कार्य अंचल, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना ।
कार्यपालक अभियंता, सभी कार्य प्रमंडल, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना ।

विषय- OPRMC संबंधित पथों की सूची को नोटिस बोर्ड /होर्डिंग के माध्यम से प्रदर्शित करने के संबंध में।

प्रसंग - पत्रांक-प्र0 11/पथ संधारण-10-01/2014 2592 (एस) we पटना, दिनांक-
20.03.2015

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र की कंडिका 3.15 में दिए गए निदेश के अनुपालन में 10 अप्रैल 2015 तक निश्चित रूप से OPRMC संबंधित पथों की सूची का होर्डिंग एवं नोटिस बोर्ड लगाना सुनिश्चित करें।

OPRMC पथों का लगाने वाला नोटिस बोर्ड में समरूपता बरकरार रखने के उद्देश्य से प्रारूप तैयार कर इस पत्र के साथ संलग्न है । इस संबंध में IRC: 67 - 2012 के प्रावधानों को भी सुनिश्चित करें।

साथ ही प्रमुख स्थानों पर होर्डिंग भी उक्त तिथि तक लगाना सुनिश्चित करें।

दिनांक 11.04.2015 को emailid rcd.roadmaintenance@gamil.com पर अनुपालन प्रतिवेदन उपलब्ध करा दें।

अनु0-यथोक्त ।

विश्वासभाजन

Lakshmi
31/3/15
(लक्ष्मी नारायण दास)

(कृ0पृ030)

ज्ञापाकं -

2137 (E) पटना, दिनांक 31-3-15

प्रतिलिपि- मुख्यालय स्थित सभी पदाधिकारी तथा निदेशक, Training, Testing & Research Institute, केन्द्रीय निरूपण संगठन/ कार्यपालक अभियंता, उड़नदस्ता पथ प्रमंडल सं0-1/2/3/4 /प्रभारी, पथ संधारण कोषांग, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

Lakshmi
31/3/15

(लक्ष्मी नारायण दास)

ज्ञापाकं -

2137 (E) पटना, दिनांक 31-3-15

प्रतिलिपि- अधीक्षण अभियंता (अनुश्रवण) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। उक्त पत्र को Email द्वारा सभी संबंधित को प्रेषित करने तथा विभागीय Web site पर प्रदर्शित करने की कृपा करें।

Lakshmi
31/3/15

(लक्ष्मी नारायण दास)

ज्ञापाकं -

2137 (E) पटना, दिनांक 31-3-15

प्रतिलिपि- माननीय मंत्री, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना के आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

Lakshmi
31/3/15

(लक्ष्मी नारायण दास)

